

डिक्री बमूकदमें इब्बदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 221 / 2023

वादी

1. सोहनी पत्नी हेमाराम जाति मेघवाल निवासी खाटु बड़ी तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

- कंचन पत्नी बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी खाटु बड़ी तहसील जायल जिला नागौर
- प्रदीप पुत्र बाबूलाल
- प्रेणा पुत्री बाबूलाल प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कंचन पत्नि बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी खाटु बड़ी तहसील जायल
- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- वादी 1 की ओर से श्री हनुमानराम मण्डा, एडवोकेट
 - प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट
- :: डिक्री आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व अधिवक्ता श्री शिवप्रकाश सिंवर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

- वादीनी सोहनी के 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीवादी कंचन के 1/2 हिस्सा, प्रदीप, प्रेणा पिता बाबूलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कंचन के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कचरास में खेत खसरा नम्बर 2226/374 रकबा 2.7276 हैक्टेयर, रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
- उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा। सूचित हो।

आज की तारीख तीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/8/24 को जारी किया गया

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफरिक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल